न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/131

1. डेगराज पुत्र श्री दामोदर लाल, जाति कुमावत, निवासी ई–741, लालकोठी योजना, जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. अरविन्द कुमार चौधरी पुत्र श्री ओमप्रकाश चौधरी, जाति महाजन,
2. रश्मि चौधरी पत्नी श्री अरविन्द कुमार चौधरी, जाति महाजन, निवासी मकान नम्बर 3795, चौधरी गेट, मोतीसिंह भौमिया का रास्ता जौहरी बाजार जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री विवेक शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री हेमराज भदाला एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 21.09.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय (सांगानेर) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अपीलान्ट के नोटिस प्रेषित नही किये, अपीलान्ट दिनांक 29.07.2020 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तत्पश्चात् पत्रावली में कोविड–19 के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई तथा तारीख पेशी तब्दील की जाती रही परन्तु दिनांक 03.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई जवाब आदि का अवसर प्रदान किये ही रेस्पोडेन्ट को नाजायज लॉभ पहुॅचाने की गरज से दिनांक 03.03.2021 को अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर कतई गौर नही किया गया कि यदि किसी भी खातेदार द्वारा उसकी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कराया जाता है तो पड़ौसी काश्तकारों को सीमाज्ञान हेतु सूचना आवश्यक रूप से दी जाती है परन्तु इसके सम्बन्ध में पत्रावली पर सीमाज्ञान सभी पड़ौसी काश्तकारों के सामने हुई हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है ऐसी स्थिति में स्पष्ट है

P.T.O.

कि सीमाज्ञान रिपोर्ट एकपक्षीय व मनमानी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को बैजा लाभ पहुँचाने की गरज से मौके पर बिना नाप जोख किये ही केवल कागजों में ही सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई थी। ऐसी स्थिति में उस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो विधि विधान के विरूद्ध है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा केवल मात्र अपीलान्ट को हैरान व परेशान करने के लिऐ उक्त सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी आदेश प्राप्त किया गया है जबकि पत्थरगढ़ी के आदेश करवाने से पूर्व सम्बन्धित सभी खातेदार, काश्तकार व पड़ौसी खातेदार काश्तकार को सूचना व सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त ही न्यायोचित आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा नही कर विधि प्रक्रिया को दरकिनार करते हुय सहखातेदारान व पड़ौसी खातेदारान को बिना पक्षकार बनाये उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी को उक्त अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.02.2022 को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की गई जिस पर अपीलान्ट द्वारा रोका गया तो रेस्पोडेन्ट द्वारा कहा गया कि मैने अधीनस्थ न्यायालय से पत्थरगढ़ी का आदेश पारित करवा लिया है और तुम्हे बेदखल करके दम लेंगे जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 11.02.2022 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 11.02.2022 को तैयार की जाकर अपीलान्ट को दी गई तत्पश्चात् अपीलान्ट द्वारा बिना किसी देरी के जानकारी से अन्दर मियाद उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा उक्त विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2021 बसिलसिला मिसल संख्या 53/2020 उनवानी अरविन्द कुमार चौधरी व अन्य बनाम डेगराज व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.03.2021 निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 280/2 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 280/1 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 296/1 रकबा 0.02 हैक्टयर भूमि लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड एवं नक्शें में तरमीमशुदा खातेदार है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की उक्त खातेदारी भूमि है जिससे अपीलान्ट तनाजा रखते है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सीमा मेड़ों के पुख्ता निशानात नही होने की वजह से रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि पर पुख्ता अतिक्रमण करने पर आमादा रहते थे ऐसी स्थिति में

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी भूमि पर पत्थरगढ़ी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण एवं विधिक प्रक्रिया अपनाते हुऐ ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि की सीमा पर पुख्ता निशानात नही होने के कारण अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट को आकर कहने लगे कि इस भूमि के कोई निशानात नही है जब तक पुख्ता निशानात नही होंगे तब तक हम यहॉ पर तार फेन्सींग या पुख्ता निशानात नही करने देंगे और कहा कि जब तक पुख्ता तार फेसिंग नही होगी तब तक तुम यहॉ पर तार फेन्सींग नही करवा सकते हो, वरना इस का इन्जाम बुरा होंगा जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 डरे व सहमे हुए है तथा अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट को आये दिन हैरान व परेशान करते है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़े की सम्भावना रहती है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ने दिनांक 18.07.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि पर अपीलान्ट अवैध कब्जा करने की नियत से लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये जिससे वादकारण व प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है। अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट की भूमि को अपनी भूमि बताकर विवाद करते है जबकि आपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमियों से किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नही है तथा अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को नाजायज हैरान परेशान कर सीमाओं का तनाजा रखते है इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पेश करना आवश्यक होने पर पेश किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 280/2, 280/1, एवं 296/1 ग्राम लूनियावास रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि है तथा प्रत्येक खातेदार को अपनी आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने के कानूनी अधिकार प्राप्त है जिनके तहत कोई भी खातेदार अपनी

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आराजी के सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.3.2021 पारित किया गया है जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के उज्रात करने के कानूनी अधिकार अपीलान्ट के पास उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2021 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2021 यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।